अंचल अधिकारी का कार्यालय, करमाटाँड़(विद्यासागर)

संदिग्ध / अवैध जमाबंदी रद्दीकरण वाद संख्या–74 / 2022

तिथि	आदेश फलक	मंतव्य
1	2	3
07.2023	–:आदेश:– अभिलेख उपस्थापित। यह अभिलेख मुख्य सचिव, झारखण्ड के पत्रांक 2074 / रा0 दिनांक 13.5.16 के साथ सहपठित उपायुक्त, जामताड़ा के आदेश ज्ञापांक 461 / रा0, दिनांक–14.5.16 के आधार पर संधारित किया गया है। उपायुक्त जामताडा के द्वारा दिए गए आदेश के अनुपालन में राजस्व उप निरीक्षक हल्का संख्या–02 ने अंचल निरीक्षक करमाटाँड़(विद्यासागर) के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन दिया है कि करमाटाँड़(विद्यासागर) अंतर्गत मौजा–रतनुडीह, थाना सं0–17, खाता सं0–97 / 5, दाग सं0–838 रकवा–1.26 एकड़ भूमि जमाबंदीदार–रिझु हेम्ब्रम पिता–मंगल हेम्ब्रम ग्राम–रतनुडीह, पोस्ट–पतरोडीह, थाना–करमाटाँड़, जिला जामताड़ा के नाम से पंजी–II में दर्ज है। तथा उक्त भूमि का राजस्व अभिलेख के साथ स्थल जाँच करने पर पाया कि उक्त भूमि का सर्वे खतियान में किस्म–पुरातन पतित कहकर दर्ज है तथा जमाबन्दी पंजी के जमाबन्दी न0 97 / 5 में वर्ष 1983–1984 तक लगान जमा दर्ज है। आगे प्रतिवेदित किया है कि चूँकी पंजी–II के प्राधिकार कालम में जमाबन्दी कायम करने का कोई आधार दर्ज नहीं है तथा जमाबन्दीदार के वारिशानो के द्वारा उक्त जमाबन्दी का कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे उपरोक्त जमाबंदी संदिग्ध / अवैध प्रतीत होता है अतः जमाबन्दी रद्द करने की अनुशंसा की गई है। प्रतिवेदन के आधार पर वादी को नोटिस देकर अपना पक्ष रखने हेतु कहा गया। वादी की ओर से उनके पुत्र दशरथ हेम्ब्रम पिता–रिझु हेम्ब्रम ने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा है कि उनके पास लगान रसीद सं0–1957485 एवं अंचल कार्यालय, नारायणपुर का परवाना तथा प्रधानी पट्टा सं0–24549 उपलब्ध है जिसकी छायाप्रति उन्होने समर्पित किया है। कागजातों की मूल / सत्यापित प्रति पेश करने हेतु उन्होनें समय की माँग की है। वादी को बंदोबस्ती संबंधी कागजात तथा समर्पित किए गए कागजात की मूल / सत्यापित प्रति पेश करने हेतु कई मौके दिए गए। परन्तु वादी बंदोबस्ती संबंधी कोई भी साक्ष्य / कागजात पेश करने में नाकाम रहे। साथ ही समर्पित कागजातों की मूल / सत्यापित प्रति भी पेश नहीं किया गया। वादी के द्वारा बंदोबस्ती संबंधी साक्ष्य / कागजात उपलब्ध नहीं कराने से उपरोक्त वर्णित जमाबंदी संदिग्ध प्रतीत होता है। अतः अंचल करमाटाँड़(विद्यासागर) अंतर्गत मौजा–रतनुडीह, थाना सं0–17, के जमाबन्दी संख्या–97 / 5 पर बंदोबस्ती संबंधी कोई साक्ष्य या कागजात अप्राप्त रहने के कारण जमाबंदी संख्या–97 / 5 को संदिग्ध मानते हुए उक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है । अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, जामताड़ा को भेजें। 07.07.23 अंचल अधिकारी,	

Digitally signed by RAM PRAWESH KUMAR
Date: 2024.07.18 14:51:49 +05:30
Location: 192.168.1.2